341

पर्यटन निदेशालय, उत्तराखण्ड्

पं0 दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
निकट–ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड़,
गढ़ीकैन्ट, देहरादून ।

संख्या–3769 /2–6–68/2013–14 दिनांक 19 फरवरी, 2014

–:कार्यालय आदेश:–

शासनादेश संख्या–186/VI(1)2014–03(19) 2007, दिनांक 19–2–2014 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर **होटल द्रोण में आवासीय परिसर में टाईप–I,II एंव III के आवासों की मरम्मत** हेतु रू0 4.95 लाख के आगणन पर प्रशासनिक स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में **रू0 4.95 लाख (रू0 चार लाख पिचानब्बे मात्र)** को आहरित करके सम्बन्धित निर्माण इकाई को भुगतान किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(धनराशि लाख रू0 में)

कम सं0	योजना का नाम	मूल स्वीकृत लागत	वर्ष 2013–14 में आहरित की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई
1	2	3	4	5
1	होटल द्रोण में आवासीय परिसर में टाईप–I,II एंव III के आवासों की मरम्मत	4.95	4.95	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, देहरादून।
	योग	**4.95**	**4.95**	

(रू0 चार लाख पिचानब्बे हजार मात्र)

2– उक्त धनराशि का भुगतान उपरोक्त सूची के अनुसार कालम संख्या–05 पर इंगित निर्माण इकाई को किया जायेगा। सम्बन्धित निर्माण इकाई धनराशि की प्राप्ति रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण इस निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो उक्त धनराशि को आहरित कर चेक/चालान के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, देहरादून को भुगतान करना सुनिश्चित करेगें। सम्बन्धित निर्माण इकाई उक्त धनराशि की विधिवत् प्राप्ति रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के हेतु पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये । व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

5– कार्य के प्रति पूर्ण भुगतान करने से पूर्व किसी तृतीय पक्ष से इसकी गुणवत्ता की चेकिंग का कार्य उक्त अनुमोदित लागत से कराये जाने के बाद कार्य अनुमोदित आगणन के अनुसार होने की पुष्टि पर ही भुगतान किया जायेगा। यह दायित्व अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा का होगा। अतः अधिशासी अभियन्ता द्वारा Third Party Monitering की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

6– कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली –2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

8– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

9– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

10– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्यक करा लिया जाये तथा विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

11– विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य) स्थिति की दशा में ही करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

13– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2014 तक अवश्य कर लिया जाय।

14– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

15– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाषीर्शक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104– सम्बर्धन तथा प्रचार– 04– राज्य सेक्टर–48–विभागीय भवनों की मरम्मत–24–बृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

(डा0 उमाकान्त पंवार)
निदेशक पर्यटन, उत्तराखण्ड।

पृ0प0संख्या– 3769 /(1)/2013–14, समदिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सचिव पर्यटन /अपर सचिव पर्यटन,, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
4– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
5– मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, देहरादून।
6– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, देहरादून।
7– आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
8– क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, देहरादून।
9– लोक सूचना अधिकारी, पर्यटन निदेशालय, देहरादून।
10– एन0आई0सी0 को बेवसाइड हेतु
11– सम्बन्धित फाईल हेतु ।
12– गार्ड फाइल ।

(शैलेन्द्र शंकर सिंह)
निदेशक वित्त